

विवाह

और

दाम्पत्य जीवन का निर्वाह

श्रीराम शर्मा आचार्य

: BOOK MADE AVAILABLE FOR DIGITIZATION BY :

SHRI PRAVINBHAI PANDYA,
ALINDHRA, GUJARAT, INDIA

: OUR MAIN CENTERS :

Shantikunj, Haridwar,
Uttaranchal, India – 249411
Phone no : 91-1334- 260602,
Website : www.awgp.org
E-mail : shantikunj@awgp.org

Gayatri Tapobhumi,
Mathura, U.P., India – 281003
Phone no : 91-0565-2530128,
Website : www.awgp.org
E-mail : yugnirman@awgp.org

: BOOK DIGITIZED BY :

Vicharkranti Pustakalay, Thana-Faliya, Dindoligam, Surat-394210, Gujarat, India
E-mail: vicharkranti.awgp@gmail.com | Website : www.vicharkrantibooks.org



प्रकाशक —
ब्रह्मवर्चस्
शान्ति कुञ्ज, हरिद्वार



मुद्रक:—
युगान्तर चेतना प्रेस
शान्ति कुञ्ज, हरिद्वार

www.awgp.org
www.vicharkrantibooks.org



क्रमांक २४



जनवरी १९८६

मूल्य एक रुपया

विवाह और दाम्पत्य जीवन का निर्वाह



बचपन अनाड़ीपन में बीत जाता है। बच्चे, वस्तुओं, संबंधियों और अपने पराये का भेद करना सीखते हैं, पदार्थों के रूप-गुण पहचानते और खेलने-कूदने में समय बिताते हैं। बहुत हुआ तो अपने बलबूते स्वच्छता का नियम पालने लगते हैं। दस वर्ष तक की आयु बचपन है। इसमें कुछ आरंभिक पढ़ना लिखना भी आरम्भ कर देते हैं, बुद्धि की पकड़ तो कमजोर ही होती है।

इसके बाद किशोरावस्था आरम्भ होती है। वह बीस वर्ष तक चलती है। इस अवधि में शरीर के कल-पुर्जे बढ़ते और परिपक्व होते हैं। बीस वर्ष की आयु तक परिपक्वावस्था आती है, समझ का विकास होता है और उत्तरदायित्वों का स्वरूप वह समझने लगता है। इसके उपरान्त ही जीवन का शरीर में प्रवेश होता है। स्त्रियों में यह एकाध वर्ष पहले भी आरम्भ हो जाता है।

विवाह की यही आयु है। विवाह का प्रयोजन प्रजनन है। संतानोत्पत्ति की वय इससे पूर्व नहीं होती; क्योंकि जिन अंगों का शरीर के प्रजनन अंगों से संबंध है वे तब तक पूर्ण नहीं होते हैं। कच्चों से काम लिया जाय तो प्रयत्न भी सफल नहीं होता और साथ ही कच्चे फल को तोड़ने के समान हानि भी होती है।

आम-अमरूद पर फल तो जल्दी ही आ जाते हैं; पर वे कच्चे होने के कारण स्वाद एवम् उपयोग की दृष्टि से इस योग्य नहीं होते कि उनकी तुलना पके फलों में से की जा सके। समय के पहले तोड़ना एक प्रकार से उन्हें बर्बाद करना और अपनी हानि करना है इससे पेड़ की नयी पीढ़ी बनना भी बन्द हो जाती।



विवाह के संबंध में भी यही बात लागू होती है। उसके दो स्वरूप हैं—एक शारीरिक दूसरा मानसिक। शारीरिक दृष्टि से किशोरावस्था बढ़ने और परिपक्व होने की आयु है। उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। स्वास्थ्य संवर्धन, शिक्षा-विकास, एवम् अनुभव का एकीकरण, यही सब बातें हैं जो किशोरावस्था के लिए निर्धारित हैं। बहते पानी को निर्धारित दिशा में जाने देने की अपेक्षा यदि उसे इधर-उधर फैलने दिया जाय तो नियत स्थान तक उसका पहुँचना यत्किंचित ही हो पाता है। बीच के छेद ही उसे इधर-उधर फैला देते हैं और सिचाई का प्रयोजन जहाँ पूरा होना है, वहाँ तक उसका पहुँचना ही ठीक तरह नहीं हो पाता।

उच्छृंखल लड़के गोंद के लोभ में नन्हें पेड़ों में जहाँ-तहाँ छेद कर देते हैं, फलतः वहाँ से गोंद निकलने लगता है। गोंद को बेच कर पैसे तो प्राप्त किये जाते हैं, पर उस पेड़ का बढ़ना रुक जाता है। वह दुर्बल होने लगता है बीना रह जाता है और सूख जाता है। यह बात उन लोगों पर लागू होती है, जो युवावस्था आने से पूर्व ही लड़कों या लड़कियों का विवाह कर देते हैं। मनुष्यों की बनावट एक सी ही है, चाहे नर हो, चाहे नारी। दोनों की परिपक्वता एक ही समय में आती है। यह सोचना गलत है कि लड़कियों का बारह चौदह वर्ष की आयु में विवाह कर दिया जाय तो हर्ज नहीं। लड़कों की आयु के बारे में सोलह-अठारह की बात सोची जाती है। यह शरीरविज्ञान और मनोविज्ञान दोनों की दृष्टि से अनुचित है। बीस वर्ष तक की आयु शारीरिक अभिवृद्धि के लिए है और बीस से पच्चीस वर्ष तक की मानसिक अभिवृद्धि के लिए।

पच्चीस वर्ष से कम की आयु को “गघा पच्चीसी” कहते हैं। इसका मोटा अर्थ है कि इस आयु के होने तक मनुष्य बौद्धिक दृष्टि से अपरिपक्व होता है। उसकी मानसिक क्षमता, अनुभव सम्पदा उतनी नहीं हो पाती, जिसे परिपक्व कहा जा सकता है। कच्ची शारीरिक या मानसिक स्थिति में प्रजनन कर्म की ओर कदम बढ़ने लगे तो उसका सीधा प्रभाव

शारीरिक या मानसिक परिपक्वता विकसित होने से पहले ही व्यवधान उत्पन्न कर देता है। शरीरगत पुष्टि के बाद क्षमताएँ मस्तिष्क की ओर बढ़ती हैं। बीस से पच्चीस वर्ष तक की आयु मानसिक विकास के लिए है। निर्धारित समय से पूर्व छेड़छाड़ कर देने का सीधा अर्थ है कि विकास का जो क्रम स्वाभाविक रूप से चलता है उसे न चलने दिया जाय। जो लोग बाल-विवाह के खिलवाड़ के लिए आतुर रहते हैं वे प्रकारान्तर से अपने ही शारीरिक, मानसिक विकास में बाधा डालते हैं और जीवन भर इन दोनों ही क्षेत्रों में दुर्बल बने रहते हैं। यह जल्दबाजी हर दृष्टि से हानिकारक है। यह तथ्य हर समझदार लड़की-लड़के या उनके अभिभावकों को स्पष्ट लेना चाहिए, अन्यथा बाल-विवाह के शिकंजे में कस दिये जाने वाले बालक स्वयं तो कायिक और बौद्धिक दृष्टि से दुर्बल रहते हैं, उनकी संतानें और भी गरीब गुजरी होती हैं। कच्चे बीज का बो देने पर यदि उनके अंकुर निकले भी तो वे हर दृष्टि से दुर्बल होंगे।

कच्ची नींद से बच्चे को जगा देने पर वह रोने-मचलने लगता है। पूरी नींद सो लेने के उपरान्त वह हँसता खेलता हुआ उठता है। कच्ची उम्र में विवाह करने के दुष्परिणाम जनक जननी को ही नहीं, उस बच्चे को भी भुगतना पड़ता है, जो कच्चे साधनों से उत्पन्न हुआ है। पिछड़े समुदायों में प्रायः जल्दी विवाह कर देने की प्रथा है। वे इसे बड़े भार से निश्चिन्त होना मान बैठते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि वे अपनी संतान और अगली पीढ़ियों के लिए कितना अनर्थ उपस्थित कर रहे हैं। बाल-विवाह की हानि हर वयस्क और अवयस्क को समझायी जानी चाहिए और कहा जाना चाहिए कि यदि शरीर को पूर्ण आयु तक दुर्बलता और रुग्णता रहित होकर जीना है तो इस कुप्रथा से बचने में ही लाभ है।

एक और कुप्रथा अपने देश में यह चल पड़ी है कि सबर्णों में लड़के वाले बेटी वाले से दहेज वसूल करते हैं और पिछड़ी कही जाने वाली जाति में लड़की वाले वर पक्ष से लड़की की कीमत वसूल करते हैं। यह आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से दोनों प्रकार अहितकर है।

अपने देश में औसत नागरिक उतना ही कमा पाता है, जिसमें किसी प्रकार गृहस्थी की नाव खिचती रहे। हजार पीछे एक कदाचित ऐसा हो, जिसके पास उचित गुजारे के उपरान्त भी कुछ बच जाता हो। यदि बचत होती हो तो उसे परिवार की स्वस्थता, शिक्षा, उपयोगिता बढ़ाने जैसे उपयोगी कार्यों में लगाया जाना चाहिए, किन्तु देखा यह जाता है कि विवाह में दोनों ओर से अन्धाधुन्ध खर्च होता है। बारात की शोभा बनाने के लिए वाहन और बैण्ड बाजे जैसी वस्तुएँ किराये पर ली जाती हैं। मेवा-भिठाई इधर-से-उधर और उधर-से-इधर भेजने और उसका प्रदर्शन करने की धूमधाम चलती है। वर्तन, फर्नीचर, कपड़े आदि सौगातें भेजने का रिवाज है। इस प्रदर्शन में ढेरों पैसा खर्च कर देने में किसी पक्ष को कोई लाभ नहीं। व्यर्थ का कबाड़ खाना इधर-से-उधर लाने ले जाने में ही बूत हैरान करता है और बीच में ही टूट फूट जाता है। इस में हवाई के जमाने में इन टुन-मुन चीजों के जुटाने में ढेरों खर्च हो जाता है। प्रीतिभोज इन दिनों कितने मँहगे पड़ते हैं और उनमें जूठन आदि कितनी बर्बादी होती है, यह किसी से छिपा नहीं है। इसके बाद नकदी के रूप में दहेज देने और बदलने में बेटे वाले की आंर से मँहगे जेवर कपड़े चढ़ाये जाने का प्रचलन ऐसे हैं जो दोनों की आर्थिक कमर तोड़ देता है। बेटे वाला तो यों भी मन समझा सकता है कि कबाड़ खाना ही सही, उसके घर में कुछ तो आया, पर बेटा वाले का तो दिबाला ही निकल जाता है। जिस घर में लगातार विवाह करने पड़ते हैं, विशेषतया लड़की वालों के यहाँ, उसका ईश्वर ही रक्षक है। ईमानदारी से इतना फालतू पैसा बचा सकना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। इसलिए वह सिद्धान्त सर्वथा सत्य है कि “खर्चीली शादियाँ हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं।

विवाह संसार भर में होते हैं, पर साधारण अतिथि सत्कार के अतिरिक्त कोई भी अनावश्यक खर्च नहीं करता। अँगूठियाँ बदल लेने, मिरजे में प्रतिज्ञाएँ करने, दोनों को चायपार्टी देने जैसे छोटे-मोटे खर्च ही



विवाहों के अवसर पर होते हैं, जहाँ “घर फूँक तमाशा देखने” के रिवाज हैं, वहाँ अपव्यय जीवन भर के लिए पूरे परिवार की स्थिति को संकट-ग्रस्त बना देता है। अब समय आ गया कि मनुष्य समय को समझे और बुद्धिमानी अपनाये। शादियों में कम-से-कम खर्च करें और जो कुछ इस उत्साह भरे वातावरण में दोनों पक्षों द्वारा दिया जाय, वह धन के रूप में लम्बे समय तक के लिए बैंक में जमा कर दिया जाय। जेवरों में पैसा दिन-दिन घटता है और बैंकों में ब्याज बढ़ता है इस मोटे तथ्य को सभी जानते हैं कि विवाह के बाद खर्च बढ़ता है, इसलिए लड़की-लड़कों को विवाह से पहले स्वावलम्बी हो जाना चाहिए। परिवार का जो ऋण पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा में खर्च हो गया उन्हें ही पर्याप्त मानना चाहिए। वधू के खर्च को उनके सिर पर लाद देना सर्वथा अनुचित है।

पुराने जमाने में यह रिवाज था कि मर्द कमाते थे और औरतें बैठ कर खाती थीं, पर आज की मँहगाई और शिक्षा, चिकित्सा इतनी मँहगी हो गई है कि मात्र लड़के को ही नहीं, लड़की को भी कमाने की स्थिति अर्जित कर लेना चाहिए। दुर्भाग्यवश पति किसी कारण न रहे दुर्भाग्य ग्रस्त हो जाय, परित्यक्ता या विधवा बनना पड़े तो पैतृक सम्पत्ति से नहीं, हाथ-पाँव की कमाई से गुजारा कर सकने की स्थिति, योग्यता लड़की की होनी चाहिए। संयुक्त परिवार में विधवा या परित्यक्ता के हाथ कुछ नहीं पड़ता। उसे अन्यान्यों को छूट-खसोट का ही सामना करना पड़ता है। इसलिए स्वावलम्बन, जीवन की महती आवश्यकता है, न केवल लड़के के लिए, वरन् लड़की के लिए भी उतनी ही महत्व की बात है।

लड़के के हिस्से में पैतृक सम्पदा कितनी आती है, यह देखने की अपेक्षा दृष्टि यह रखी जानी चाहिए कि निजी कमाऊ योग्यता एवम् प्रतिभा क्या है? पैतृक सम्पदा का कोई ठिकाना नहीं कि वह कब तक टिकेगी और काम आयेगी।

इसी प्रकार यह मान्यता भी उचित नहीं कि लड़की से लड़का बड़ा ही होना चाहिए। बालिन हो जाने के उपरान्त यह बात निरर्थक है। कुछ

वर्ष लड़की बड़ी हो तो भी कुछ हर्ज नहीं। पुराने जमाने में लड़के वधुओं को दबा कर रखते थे। इसलिए उनकी आयु बड़ी होने की बात ज्यादा महत्वपूर्ण समझी जाती थी। अब दबोचने का नहीं, सहयोग का समय है। इसमें स्वभाव की देखभाल करना पर्याप्त है। आयु की दृष्टि से यदि लड़की बड़ी है तो उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। अब्राहम लिंकन और नेपोलियन की पत्नियाँ अपने पतियों से आयु में काफी बड़ी थीं, पर उनका दाम्पत्य जीवन स्वभाव की समता के कारण बड़े आनन्द पूर्वक बीता। लड़कों के बराबर योग्यता प्राप्त करने में लड़कियों की कुछ आयु बढ़ भी जाय तो इसमें किसी प्रकार की हानि की बात नहीं।

अपनी ही उपजाति का ध्यान रखते हुए विवाह करने का रिवाज है। अच्छा हो, यह दायरा बढ़ाया जाय। बड़े कदम उठाने में हिम्मत न पड़ती हो तो इतना तो करना ही चाहिए कि अपने समुदाय में किसी भी उपजाति के चुनाव को मान्यता दी जाय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ अपने-अपने वर्ग में लड़की-लड़के ढूँढ़ लें तो उसमें तलाश करना भी कठिन न पड़ेगा और दहेज संबंधी नीलामी भी इतनी ऊँची न चढ़ेगी। जातियों का बन्धन टूटने में यदि देर लगती हो तो पहला कदम उपजातियों के झंझट को तोड़ देने से तो होनी ही चाहिए। इससे प्रगतिशीलता की दिशा में कदम बढ़ेगा, ऊँच-नीच की मिथ्या मान्यता का प्राण छूटेगा और बड़े वर्ग की परिधि में उपयुक्त लड़के-लड़की ढूँढ़ना सरल हो जायेगा। विवाहों का निश्चय करने से पूर्व इतनी अडचनों को पार कर लिया जाय तो अगले दिनों विवाह इतने कष्ट साध्य और असफल न रहेंगे जितने कि अब होते हैं।

विवाह को लड़की-लड़के की आदर्श सम्मत भावभरी मित्रता समझा जाना चाहिए। दोनों के बीच सम्मान और सहकार की गहवाई रहनी चाहिए। मुद्दतों पुराने यह कुसंस्कार चले आते हैं कि नारी को हेय और नर को श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए आमतौर से पुरुष पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया करते हैं, मानो वह हेय, हीन, नौकरानी स्तर



विवाह और दाम्पत्य जीवन)

की हो। यह मान्यता घातक है। हँसी मजाक में कोई किसी पर व्यंग्य भी कर सकते हैं, पर जहाँ तक गम्भीरता का प्रश्न है, वहाँ ऐसी स्थिति न आने देनी चाहिए जिसमें गाली गलौज, मार-पीट, ताना, उलाहना आदि का पुट हो। विवाह से पूर्व देखा जा सकता है कि रंग-रूप अनुकूल रहा या नहीं, किन्तु विवाह के बाद इस प्रसंग की चर्चा छोड़ ही देनी चाहिए और साथी की सेवा और समर्पण के प्रति कृतज्ञता ही प्रकट करनी चाहिए। कुरूपता परक व्यंग्य तो किसी भी दशा में नहीं करना चाहिए। यह गाली-गलौज से भी बुरे किस्म का व्यंग्य है, जो कभी-कभी ऐसी गहरी खाई खड़ी कर देती है जो पटने में नहीं आती। साथी के रूप पर छोटकशी करने का प्रयत्न का अर्थ यह होता है कि उससे संतोष नहीं है। इस आधार पर यह भी फलितार्थ निकलता है कि साथी चरित्रहीन है या उसकी प्रवृत्ति उस ओर मुड़ चली है।

वस्तुतः अपने देश के निवासी मध्यम रंग रूप के ही होते हैं। न भारत योरोप है, जहाँ गोरे-चिद्दे नर-नारी होते हों और न यह अफ्रीका है, जहाँ की प्राकृतिक बनावट मोटे नाक और मोटे होठों जैसी हो, फिर जो जिस देश का निवासी है वह अपने देशवासियों के मध्यवर्ती रंग-रूप से ही संतुष्ट होता है। यदि नख-शिख की बनावट को प्रधानता देते हुए किसी को स्वीकृत या अस्वीकृत किया है, तो उसे बाजारू किस्म के घटिया दृष्टिकोण का समझा जाना चाहिए। जब हमारी बहिन, माता, भतीजी, भावज, चाची, ताई आदि मध्यम नख-शिख की होते हुए भी गृहस्थ चला लेती हैं तो हमारे लिए यह कैसे उचित हो सकता है कि सिनेमा के एक्टर जैसे नख-शिख वाले साथी चाहिए? रूप-यौवन की चमक दो-चार वर्ष रहती है, बाल-बच्चे होते ही वह गायब हो जाती है और औसत नर या औसत नारी की तरह ही हर किसी को रहना पड़ता है। जो लड़की लड़का साथी की शक्ल-सूरत को अतिशय महत्व देता हो, एक को पसंद दूसरे को न पसंद करता फिरता हो, अभिभावकों की पसंदगी पर विश्वास न करता हो, उसके बारे में समझना चाहिए कि यह व्यक्तित्व जोखिम



है। कदाचित अपने से अधिक कोई रंग-रूप आँखों में चढ़ गया तो अपनी ओर से आँखें भी फेर सकता। रूप-सौंदर्य की तलाश वस्तुतः ओछी दृष्टि है।

सम्मान ऐसी वस्तु है जिसकी भूख हर प्राणी को होती है। यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली तक उनके पीछे लगते हैं, जो अपेक्षाकृत उन्हें अधिक प्यार देते हैं। छोटे बच्चों तक में यह विशेषता पाई जाती है कि जो अधिक प्यार भरी दृष्टि से देखते हैं उनकी गोदी में चढ़ने की कोशिश करते हैं। यद्यपि वे प्यार, तिरस्कार के वेधक शब्दों का अर्थ नहीं जानते, किन्तु आँखों को देखने मात्र से पढ़ लेते हैं कि उन्हें कौन, कितना, किस स्तर का प्यार करता है उसी अनुपात से वे भी अपनी आत्मीयता और उपेक्षा करते हैं। यह बात वयस्क और समझदार व्यक्ति पर तो और भी अधिक मात्रा में लागू होती है। जब झूठा प्रेम प्रकट करके प्रवचका दूसरों को ठग लेते हैं। वेश्याएँ कितनों को फँसा लेती हैं और ठग कितनों की शील सम्पदा पर हाथ साफ कर लेते हैं। तो सच्चे प्यार का तो कहना ही क्या? आँखें आँखों को पढ़ती हैं और हृदय हृदय को। अक्षरों को पढ़ने-समझने में भूल हो सकती है, पर अन्तःकरण को पढ़ने में अन्तःकरण कदाचित ही भूल करता हो।

ऐसी घटना तो अनेकों बार हुई है कि प्रेमपत्र यह सोचकर लिखे गये कि वे तथाकथित प्रेमी तक ही सीमित रहेंगे। पर हुआ उसी का उल्टा। उन्हें वे दूसरों को दिखा दिए और लिखने वाले को बदनाम कर दिया। कई बार तो इन प्रकट कर देने की घमकी देकर चिरकाल तक शोषण किया जाता है। इसलिये समझदार माताएँ बहनों नासमझ लड़कियों को सदा समझाती रहती हैं कि कदाचित कहीं प्रेमालाप चल रहा हो तो उस संदर्भ में कोई पत्र लिखकर न दें। अन्यथा वह लिखा पत्र ही कभी उनके लिए जान का बवाल बन जायेगा। प्रेम प्रसंगों में अनेक बार ऐसे विश्वासघात होते रहते हैं कि बहकावे में आने पर जान वेकर भी पिण्ड नहीं छूटता। पर होता तभी है जब प्रेम का उन्माद छाया



रहता है। वस्तुस्थिति को परखने के लिए यदि पहले से ही सावधानी रखी गई हो तो झूठ की कलई खुलने में देर नहीं लगती और पक्षी जाल में न फँसने से बच जाते हैं।

इस प्रसंग में यह भी ज्ञातव्य है कि विवाह होने से पूर्व यदि कहीं कुछ अनुचित बन पड़ा हो उसे विवाह के समय होने वाले प्रायश्चित्त होम की आहुतियों में ही होम देना चाहिए। पीछे न कुछ पूछना चाहिए और न बताना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने से लाभ कुछ नहीं और हानि असीम है। मनुष्य के स्वभाव में विश्वास की अपेक्षा अविश्वास अधिक मात्रा में भरा पड़ा है। भोलेपन और सच्चाई प्रकट करने के निमित्त भूतकाल की मूल प्रकट कर दी जाय तो आमतौर से साथी अपनी भूलें तो भूल जाता है और साथी के स्वभाव पर लांछन लगाता रहता है। उसमें प्रायः ऐसी उदारता कम ही पाई जाती है कि उस कटु प्रसंग को अनदेखा अनजाना मान कर मन में से सदा-सर्वदा के लिए निकाल दे। इसलिए मनुष्य स्वभाव को ध्यान में रखते हुए यही उचित है कि प्रायश्चित्त होम की आहुति देते हुए एक-दूसरे को परम पवित्र मानें। उस समय तक एक दूसरे को पूर्ण पतिव्रता और पत्नीव्रता मानें और किसी कोने में कोई विषाक्त अशंका के लिए स्थान न रहने दें। “बीती ताहि बिसारि दे” की नीति को अपनायें। यह मान कर चलना चाहिए कि वह जमाना चला गया जब द्रौपदी पाँच पतियों के लिए समान प्राणप्रिय बन कर रहती थी। देहरादून प्रदेश के जीनसार बाबर क्षेत्र में अभी भी यह प्रथा है कि बड़े भाई का विवाह होता है और शेष भाई उसी को पत्नी के रूप में बिना किसी झगड़े-झंझट के समान रूप से स्वीकार करते हैं। पिछला जमाना बहुपत्नीवाद का रहा है; पर ऐसे प्रसंग कदाचित् कभी आये हैं, जब बहु पति प्रथा को मान्यता मिली हो। कुंती-द्रौपदी जैसे अपवाद खोजने पर कदाचित् ही कहीं कभी मिलते हों। इस प्रकार जीवन में सदा ध्यान रखने योग्य बात यह है कि विवाह के बाद ऐसे प्रसंग किसी ओर से भी प्रस्तुत न हों। दोनों पक्ष अपने प्रेम को एक

विन्दु पर केन्द्रित रखें और बफादारी का समुचित निर्वाह करें। इस प्रसंग में खाई पड़ने पर प्रायः ऐसा ही देखा गया कि मन फट जाते हैं और फिर वैसा सघन विश्वास उत्पन्न नहीं होता जैसा कि होना चाहिए।

विवाह की सफलता में एक बहुमूल्य तथ्य यह है कि एक दूसरे का भरपूर सम्मान करें। व्यंग्य विनोद में भी हलका फुलका असम्मान न करें। क्योंकि प्रेम की भाषा सम्मान ही है। जहाँ गहरे सद्भाव होंगे वहाँ अपमान के प्रसंग न प्रत्यक्ष में आँगे न परोक्ष में। यहाँ तक कि क्रोध आवेश में भी ऐसे शब्द मुँह से न निकलें जो अगले को महत्वपूर्ण और दूसरे को हेय ठहराते हों। इसलिए यह अभ्यास आरंभ से ही डालना चाहिए कि कटु वचनों का आदान प्रदान किसी भी रूप में चलने न पाये।

वह समय गुजर गया जब लोग दास दासियों से, स्त्री बच्चों से कैसा भी अपमानजनक व्यवहार कर लिया करते थे और वे दूसरों का बड़प्पन अपनी लघुता को ध्यान में रखते हुये कटु और अपमान जनक व्यवहार को भी सहन कर लेते थे; पर अब वह स्थिति बहुत पीछे रह गई। हर किसी को दूसरों से सम्मान की आकांक्षा रहती है। भले ही वह वास्तविक न होकर शिष्टाचार ही क्यों न हो। पत्नी पति के कटुवचन विवशता समझ कर सह तो सकती है पर उसके हृदय में चोट न लगती हो ऐसी बात नहीं है अस्तु यदि दाम्पत्य जीवन को सरस रखना है तो उसमें प्रेम भावना ही नहीं शिष्टाचार और मधुर भाषण का समावेश चाहिए। समय ने अशिष्ट आचरण और व्यवहार को एक प्रकार अस्वीकार ही कर दिया है। पिछड़ी प्रथाओं को फिर से प्रयोग करके उनके दुष्परिणामों को दुहराने वाले समझदार नहीं मूर्ख कहे जाते हैं।

दाम्पत्य जीवन की घनिष्ठता और एकता का एक स्वरूप यह भी है कि घर का बजट मिल जुल कर बनाया और चलाया जाय। घर की आर्थिक स्थिति की जानकारी दोनों को समान रूप से होनी चाहिए और खर्च करने में समान सहमति भी। पुरुष कमाता है इसका उसे अहंकार न होना चाहिए और न स्त्री को इसलिए हेय मानना चाहिए कि वह

कमाती नहीं है। वास्तविकता यह है कि घर का काम काज करने, निरन्तर चौकीदारी करने में, भोजन बनाने, सफाई करने, कपड़े संभालने आदि का श्रम यदि पैसे के हिसाब से गिना जाय और वह जो खाती पहनती है उसका खर्च काट लिया जाय तो स्त्री की कमाई भी प्रायः उतनी ही होती है जितनी पुरुष की।

फिर माता के उपरान्त पत्नी का प्रेम ही ऐसा होता है जिसे अनन्य कह सकते हैं। उसका मूल्यांकन तो पंप्पे से हो ही नहीं सकता। सन्तानोत्पादन में उसे गर्भकाल से लेकर, प्रसव और शिशु पालन में जो एकाकी कष्ट उठाना पड़ता है उसका भी मूल्य जोड़ा जाय तो पत्नी का ऋण भार पति के ऊपर कम नहीं बरन् अधिक ही बैठता है। सुख-दुःख का बांटकर ही उपयोग किया जा सकता है इस बँटवारे में पत्नी जितना हाथ बँटाती है उतना संसार का और कोई संबंधी कदाचित ही बँटा पाता हो।

पत्नी अपना घर छोड़ कर पति के यहां जाती है और नौकरानी जैसा निर्वाह स्वीकार करती है। पति ऐसा नहीं करता। छंटी-छोटी बातों के लिए भी पति की इच्छा और आज्ञा का अनुशरण करती है जबकि पति उस प्रकार का ब्योरा देने के लिए बाधित नहीं होता।

सदा दानी का पद ऊँचा और ग्रहीता का नीचा माना गया है। पत्नी दानी है और पति ग्रहीता। इस दृष्टि से भी उसे सम्मान पाने और सहयोग लेने का अधिकार है। पति को इन दोनों के संबंध में कृपणता नहीं बरतनी चाहिए। बरन् स्त्रियों का मानस अधिक संवेदनशील होता है। उन्हें मान अपमान अधिक प्रभावित करता है। इस दृष्टि से स्त्रियाँ कदाचित ही चूक करती हैं पर पुरुष जान अनजान में—उपेक्षा और अहंकार में—ऐसी भूलें गायः करते रहते हैं। इस संबंध में दोनों को ही एक दूसरे की वरिष्ठता और प्रसन्नता का ध्यान रखना चाहिए। विशेषतया पति को। क्योंकि हृदय की संरचनाएँ ही ऐसी होती जिस पर भावनाओं का अधिक भला बुरा प्रभाव पड़ता है।



अक्सर आमदनी पति अपने हाथ रखते हैं और स्त्रियों को घर खर्च जितने ही पैसे देते हैं। यह व्यवहारतः कमाने वाले को अतिरिक्त श्रेय मिलना हुआ। होना यह चाहिए कि नौकरी आदि की जो निश्चित आमदनी हो वह पत्नी या माता के हाथ सौंपी जाय। उन्हें गृहलक्ष्मी माना जाय। जो खर्च हो बताकर या पूछकर कर लिया जाय। ऐसी नीति अपने से स्त्रियों का मान बढ़ाता है। दूसरे अनावश्यक खर्च होने का डर भी नहीं रहता। पुरुष यदि सभी कमाई जेब में ही रखे रहें तो स्वभावतः पैसा अधिक खर्च हो जायेगा और कोई दुर्व्यसन पीछे लग जाने का भी डर रहेगा। स्त्रियों का स्वभाव कम खर्च में काम चलाने का होता है इसलिए वे कुछ बचत भी कर लेती हैं जो समय पड़ने पर काम आता है।

स्त्री अपने पिता के घर से जैसा स्वास्थ्य शिक्षा, ज्ञान, हर्षोल्लास, अधिकार साथ लेकर आई थी उसमें कमी न पड़ने पाये यह पति का कर्तव्य है। कन्या दान दिये जाने का तात्पर्य ही यह है कि अब तक जो जिम्मेदारियां कन्या को विकसित करने की पिता की थी वे सब अब पति को सौंप दी गईं। कन्यादान सबसे बड़ा दान माना गया है। उसे ग्रहण करते समय उसके श्रेष्ठतम सदुपयोग की जिम्मेदारी पति के मस्तिष्क में निरन्तर रहनी चाहिए। स्त्रियों को प्रचलन में हेय समझा जाता है खास-तौर से नव वधुओं को जिन्हें श्रम भी अधिक करना पड़ता और अपमान भी अधिक सहना पड़ता है। पूरे परिवार में उन्हें बाहर से आया हुआ बिराना समझा जाता है, इसलिए उनके साथ अनुचित बीतती है तो उसकी हिमायत भी कोई नहीं लेता। यह पति का कर्तव्य है कि जो साथी पर अनुचित बीते, उसके निराकरण में शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुये सहायता करे। जिस घर में पत्नी का मान पति करते हैं उनका दूसरे भी मान करते हैं और जहाँ पति की ओर से उपेक्षा अवमानना होती है, वहाँ दूसरों को भी 'गिरे में दो लातें जमाने' की हिम्मत पड़ती रहती है। संयुक्त कुटुम्ब की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये पति का यह कर्तव्य है कि अनावश्यक रूप से ऐसा संकोच न बरते जिससे उसे



अपने को सर्वथा असहाय अनुभव करना पड़े। प्रायः ऐसे ही प्रसंगों में स्त्रियां आत्महत्या तक कर बैठती हैं।

पत्नी का लगाव पिता के घर में भी होता है क्योंकि जीवन का आरम्भिक बड़ा भाग उन्हीं लोगों के यहाँ बीता है। उनकी हारी-बीमारी या कठिनाई में वह किसी काम न आये, यह भी बनता नहीं, इसलिए ससुराल वालों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पिता के घर आने जाने पर अनुचित बंधन न लगाये।

अनुचित आग्रह करने पर प्रेम से समझाया या कड़ाई से धमकाया भी जा सकता है पर वह व्यवहार ऐसी भूमेका के साथ होना चाहिए जिससे बात बिगड़ने तक की नौबत न आये। घर के छोटे दायरे में रहने के कारण स्त्रियों का व्यावहारिक मान कम होता है इसलिए कई बार उनके आग्रह ऐसे भी होते हैं जो अनुचित लगें। ऐसे प्रसंगों में तर्क, तथ्य उदाहरण और प्रमाण प्रस्तुत करते हुये समझाने बुझाने की नीति ही अपनानी चाहिए वह इतनी न बढ़ जाय कि छोटी सी बात बड़ी सी कटुता का निमित्त कारण बन जाय।

स्त्रियों के साथ बुरे किस्म का अत्याचार, अनावश्यक यौनाचार है। इसमें मर्दानगी नहीं अदूर्दशिता का गहरा पुट है। स्त्रियों की जननेन्द्रीय अति कोमल होती है। उनमें अनावश्यक दबाव सहने की क्षमता नहीं होती। वासना की दृष्टि से भी स्त्रियां पुरुषों से बहुत पोछे हैं। इसलिए प्रेम प्रदर्शन में यौनाचार को समेटना और सन्तानोत्पत्ति के संबंध में तो अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। उनके स्वास्थ्य को बिगड़ने का यही सबसे बड़ा कारण है। फिर अधिक संख्या में संताने होने पर उनकी न तो समुचित देखभाल हो सकती है और न सुसंस्कारी ही बनाया जा सकता है। बच्चे लगते ही छोटे हैं उनकी प्रत्येक आदत और क्रिया ध्यान रखना पड़ता है। यदि उपेक्षा बरती जाय तो आगे चल कर वही एक बड़ी कठिनाई के रूप में प्रकट होती है।

वे जमाने गये जब बच्चे जानवर चराते और घस खोदने के कारण



घर वालों के लिए भागी नहीं पड़ते थे। अब शिक्षा, चिकित्सा, कपड़े से लेकर अनेक फरमाइशें ऐसी हो गयी हैं कि बच्चों को यदि आदमी की तरह रखा जाय तो उन पर लगभग बड़े आदमी में जितना खर्च आता है। फिर वातावरण चारों ओर ऐसा है कि उससे बचा कर न रखा जाय तो वे बड़े होने पर आवारा हो जाते हैं और फिर काबू से बाहर की स्थिति में जा पहुँचते हैं। अब बच्चों की आधी पढ़ाई स्कूल में और आधी घर पर करनी होती है। यह बात पाठ्यपुस्तकों का गट्ठर याद करने के संबंध में ही नहीं शिष्टता और सुसंस्कारिता सिखाने के संबंध में भी है। यह कर्म माता-पिता दोनों को मिलकर करना होता है। साथ ही परिवार के अन्य लोगों को भी सहयोग देना है। यदि ऐसा न बन पड़े तो समझना चाहिए कि बच्चे सिर दर्द बनेंगे और मुहल्ले पड़ोस में बदनामी कराते फिरेंगे।

इन परिस्थितियों में कुत्ते बिल्लियों की तरह दर्जनों बच्चे जन डालना माता का नहीं पिता का दोष है। वह चाहे तो आधुनिक उपायों को अपना कर इस अनावश्यक भार भरे उत्तरदायित्व से अपने को बचा सकता है। एक दो बच्चे का लालन पालन तथा शिक्षा दीक्षा का संस्कार भी ठीक तरह हो सकता है। फिर अगर पत्नी का स्वास्थ्य, ज्ञान अनुभव, व्यक्तित्व बढ़ाना है तो उसके लिए संयम की ही आवश्यकता रहेगी। ढेरों बच्चे हा जाने पर इनमें से एक के लिए भी अवकाश नहीं बचता। पिता पर अधिक दबाव बढ़ता जाता है और समुचित सुसंस्कारिता एवम् सुविधा न मिलने पर बच्चों का भविष्य खराब होता है। बढ़ी हुई जनसंख्या समूचे समाज की प्रगति में प्रत्यक्ष बाधक तो है ही।

दाम्पत्य प्रेम एवम् सहयोग की सफलता में अब पुरुष को पहल करनी पड़ेगी क्योंकि चिर अतीत में पुरुषों के हरम में लाखों स्त्रियों ने उत्पीड़न सहते और आंसू बहाते दिन बिताये हैं। सती होकर स्त्रियाँ अपनी वफादारी और सच्चाई की परीक्षाएँ दे चुकी हैं। पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि इन्हीं कसौटियों को स्वीकार करके पुरुषों ने अपनी धर्म पत्नी या

सहचरी का प्रमाण प्रस्तुत किया हो। इसलिए इन पंक्तियों में जो लिखा जा रहा है वह पुरुषों को उद्बोधन करने के लिए ही लिखा जा रहा है ताकि वे अपनी पारी चुकायें, स्त्रियों को लाखों वर्ष हो गये वे शत प्रतिशत उत्तीर्ण हुई हैं। अब पुरुषों को ही आगे आना होगा क्योंकि उन्हीं को अब तक घाटा उठाना पड़ता है और उन्हीं को भविष्य में उठाना पड़ेगा। आधी जन शक्ति को अपंग बना कर उनके भरण पोषण का उत्तरदायित्व उठाते हुए उनसे भी बुरा किया है जैसा कि दक्षिणी अमेरिका में अफ्रीकी जन समुदाय को गुलाम बनाकर सारे संसार को अपने प्रतिकूल बना लिया था। आदत के दबाव से विवश होकर वह अनाचार उन्हें छोड़ना पड़ा। स्त्रियों की दशा उससे अच्छी नहीं बुरी ही है। चूंकि बात अभ्यास में आयी है इसलिए अखरती नहीं। अपने सगे संबंधी की हत्या होते देख कर हिल मिल जाते हैं, पर जब किसी बकरे को कटता देखते हैं तो मुंह फेर कर चल देते हैं। स्त्रियाँ इनसे लम्बे समय से उत्पीड़न की शिकार रही हैं इसलिए उनके कष्ट हमें विरानों के कष्ट लगते हैं यह प्रतीत होता है कि उनके भाग्य में ही ऐसा लिखा है। भगवान ने उन्हें मछलियों की तरह सृजा ही इसलिए है कि किसी न किसी के पेट में आश्रय मिले।

अगला समय न्याय की प्रतिष्ठा का आ रहा है। मांसाहारी भी विचार कर रहे हैं कि जब सोयाबीन जैसे पदार्थ उसी स्तर के हैं तो क्यों मनुष्यता को कलंकित करें? यह प्रश्न भी विचाराधीन है कि प्राणियों को संज्ञाशून्य करके काटा जाय ताकि उन्हें कम कष्ट हो। यही तर्क स्त्रियों के सम्बन्ध में विज्ञ समाज के विचाराधीन है कि मनुष्य जाति की अविच्छिन्न होते हुए भी उन्हें क्यों उस उत्पीड़न का शिकार बने रहने दिया जाय जिसके लिए न्याय का कोई समर्थन नहीं करता?

नारी को पददलित बनाकर आधी जनसंख्या को गले के पत्थर की तरह लटकाये रखा है। यदि यह आधा वर्ग भी मनुष्य स्तर का रहा होता तो उसके पुरुषार्थ और कौशल का लाभ पुरुषों को मिला होता और समूचा समाज समुन्नत स्थिति में रह रहा होता। अपने ही पैरों कुल्हाड़ी



मारने की जो भूल चिरकाल से होती चली आई है, उसका अब अन्त होना चाहिए और सामान्य विवेक को जगाकर यह सोचने के लिए विवश किया जाना चाहिए कि अपनी ही पुत्रियों बहिनों, माताओं धर्म पत्नियों पर अनाचार का ऐसा प्रयत्न न होना चाहिए, जैसा कि हो रहा है।

गाय को हरी घास खिलाना, स्वच्छ पानी पिलाना, सर्दी से बचाना, मालूम तो ऐसा पड़ता है मानों दयाद्र' होकर कोई बड़ा उपकार किया जा रहा है किन्तु वास्तविकता यह है कि इसमें पालने वाले का ही हित है। अधिक दूध मिलना, कीमती बछड़े देना उसकी अपेक्षा कहीं उत्तम है जिसमें उसके साथ क्रूर कर्कशता बरतते हुए उसे अस्थि पजर मात्र बना दिया जाय। ऐसी दशा में वह कसाई के यहाँ जाकर उतना पसा न दे सकेगी जितना कि अधिक दूध और अच्छे बछड़े पालन करने पर मिलता। गौ पालन का पुण्य मिलता और प्रदर्शनी में जाने पर पुरस्कार मिलता। स्त्री को प्रताड़ना देकर उसे मनमर्जी पर चला लेना कोई बुद्धिमानी की काम नहीं है। ऐसा तो रीछ बन्दर पालने वाले डंडे के बल पर भी करा लेते हैं।

असन्तुष्ट को अधिक उत्पीड़न देकर अधिक परिश्रम करा लेना, यह कार्य तो कोई निष्ठुर और क्रूर भी कर सकता है। मनुष्य को ऐसा नहीं होना चाहिए। पिजड़े में कैद कर उसे खुली हवा और रोशनी से वंचित करना किसी भी प्रकार न्याय निष्ठा नहीं है और न ऐसा बरताव करने पर मनुष्य का कोई गौरव बढ़ता है।

व्यभिचार प्रसंगों में प्रायः स्त्री की हत्या कर डालने जैसी ही घटनायें देखने में आती हैं जब कि बहकाने का दोष प्रधानतया पुरुष का होता है। पर पुरुष को दण्ड कौन दे ? वह तो खरी खोटी भी सुना सकता है। स्त्री ही बकरी है जिसे उल्टी डाल कर भी काटा जा सकता है और सीधी डाल कर भी। उसकी आँखों के आँसू किसी को दीख न पड़ें इसलिए ऐसा टोपा पहना दिया जाता है जैसा कि फाँसी पर चढ़ने वाले कैदी को पहनाया जाता है।

जेवर और रंग-विरंगे, चमक-दमक के कपड़े पहना कर यह उनका



झूठा मनोरंजन किया जाता है ताकि वे अपने साथ बरते जा रहे अन्याय के विरुद्ध कुछ न कह सके। फुसलावे में अपनी वास्तविक व्यथन को भूल जाय।

अब हमें छलावे और भुलावे की नीति अपनाने की कुटिलता छोड़ देनी चाहिए। उसके अपहरण किये गये मौलिक मानवी अधिकार वापिस करने चाहिए ताकि वह भी अपने आप को मनुष्य वर्ग का एक सदस्य अनुभव कर सके। अभी तो उसकी स्थिति पशु जैसी है, जिसे किसी के भी सुपुर्द किया जा सकता है। जिसे मूल्य लेकर या देकर खरीदा जा सकता है।

इन कुमथाओं को गिनाते रहने और उनके विरुद्ध कुछ लिखते या कहते रहने से काम बनने वाला नहीं है। उसके बन्धन काटें और समर्थ बनने के साधन जुटाये जाने चाहिए। हर विवेकशील के मन से यह मान्यता हटाई और मिटाई जानी चाहिए कि नारी, नर की तुलना में हेय है और उसे समता के अधिकार नहीं दिये जा सकते। जब तक यह स्थिति रहेगी, नर को नारी के स्नेह और सहयोग से वंचित ही रहना पड़ेगा।

समय-समय पर पीड़ितों के पक्ष में विचारशीलों ने आन्दोलन खड़े किये हैं। जिनके पीछे न्याय और जनमत रहा है, वे सफल भी हुए हैं। नारी उत्पीड़न के विरुद्ध हमें ऐसा ही आन्दोलन खड़ा करना चाहिए। आये दिन के अखबार रंगे रहते हैं कि बाप के घर से दहेज कम लाने के कारण इतनी बड़ी संख्या में समुराल वालों ने जला दिया या गला घोट दिया। कुछ लड़कियाँ असह्य पीड़ा तथा अपमान न सहने के कारण आत्महत्या भी कर लीं। यह सबसे बड़ी दुखती नस है। आन्दोलन का आरंभ यहीं से किया जाय तो अच्छा। स्वयं लड़के और अभिभावक प्रतिज्ञा करें कि वे दहेज, धूमधाम, लम्बी बरात का विरोध करेंगे। न तो स्वयं ऐसा करेंगे और न अपने प्रभाव क्षेत्र में दूसरों को करने देंगे। जो न मानें, उनके कार्यक्रम में न तो सम्मिलित हों और न सहयोग करें। दहेज की सीमा में वे लड़की वाले भी आते हैं जो वर पक्ष से रुपया या पदार्थ लेकर विवाह करते हैं। प्रथायें दोनों ही एक जैसी हैं, इन्हें जीवित बच्चों का मांस



विक्रय कहा जाय तो कुछ अनुचित न होगा। ऐसा जहाँ भी हो रहा हो वहाँ असहयोग और विरोध का उपक्रम चलाया जाय।

अब कड़ा कानून भी इसमें बन गया है जिसमें तीन साल तक की जेल और दस हजार तक जुर्माना हो सकता है। इस कानून के अन्तर्गत पुलिस में रिपोर्ट करने और गवाही देने में यदि किसी से बुराई बँधती हो तो उसकी चिन्ता न करके दुष्टता से लोहा लेते हुए आक्रमण भी सहने चाहिए। जिस प्रकार सवर्णों के लड़के और अभिभावकों से शपथपूर्वक प्रतिज्ञायें कराई जाय, उसी प्रकार बेटी पक्ष में धन लेने वालों की लड़कियों, माताओं और पड़ोसियों से प्रतिज्ञायें कराई जाय कि वे इस अनर्थ का पूरी तरह असहयोग और विरोध करेंगी। कानून से जो काम हो सकते हैं, वह विरोधी आन्दोलन से भी हो सकता है। वस्तुतः जन मानस को इस संबंध में जागृत नहीं किया गया है। जो ठर्रा चल पड़ा है, उसे उपेक्षापूर्वक चलने दिया जा रहा है। होना यह चाहिए कि इस कुप्रथा के कारण होने वाली हानियों से जन-जन को अवगत कराया जाय और उसका विरोध करने के लिए तीखा वातावरण बनाया जाय।

गांधी जी ने अंग्रेजी शासन हटाने के लिए असहयोग आन्दोलन और सत्याग्रह आन्दोलन चलाये थे। कम से कम प्रज्ञा परिजनों में से तो एक भी ऐसा न हो जो दहेज दे या ले। रिश्तत लेना और देना दोनों ही अपराध है। जहाँ ऐसा होने जा रहा हो, वहाँ घरना, सत्याग्रह, बहिष्कार जैसे आन्दोलन चलाये जा सकते हैं और कानून का भी आश्रय लिया जा सकता है। सामूहिक विवाहों में प्रदर्शन तो अच्छा हो जाता है पर उस आड़ में कितने बाल विवाह भी होने लगते हैं। दहेज या बाल विवाह चल पड़ा तो उससे भी समाज की उतनी ही हानि है।

इसके साथ ही कन्या शिक्षा का आन्दोलन भी चलाया जाना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा, कन्या शिक्षा का कार्य शिक्षित महिलायें और वयोवृद्ध रिटायर लोग करें। गरीबी से अशिक्षा बनी रहती है जितना यह सही है उतना ही यह भी सही है कि जब तक अशिक्षा रहेगी और नारी अपना



अधिकार एवम् स्वरूप नहीं समझेगी, तब तक वह लोग सहज ही पीछा छोड़ने वाले नहीं है जिनने पशु की तरह नारी को काम में लाने की आदत अपना ली है। सच तो यह है कि यह आदत और भी बुरी है। जानवर खरीदने के लिए खरीदार को पैसा देना पड़ता है। पर यहाँ तो वह भी उलटा कि सुयोग्य लड़की भी लेना और ऊपर से उसके अभिभावकों का गला मरोड़कर दहेज ऐंठना। जिनके गले यह चस्का लग गया है, वे प्रत्यक्ष न सही, परोक्ष रूप में रकम ऐंठेंगे। इसका पूरी तरह भिटाना तभी संभव है जब इस कुप्रचलन के विरोध में तीव्र आन्दोलन किया जाय और जो सीधी तरह नहीं मानते, उन्हें भरपूर जलील किया जाय।

पुरानी पीढ़ी न मानें तो प्रह्लाद जैसी दृढ़व्रती युवक और युवतियाँ ऐसे तैयार करने चाहिए जो आजीवन कुमारे रहने जैसे व्यवधान आने पर भी इस दुष्ट प्रथा के आगे किसी भी प्रकार सिर न झुकायें, भले ही इससे तथाकथित बड़ों की अवज्ञा ही क्यों न करनी पड़ती हो।

दहेज का प्रतिद्वन्दी जेवर है। लड़की वालों को स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमारी लड़की को जेवरों की कोई आवश्यकता नहीं है। यही बात मँहगे कपड़ों के संबंध में भी है। वे एक घण्टे पहनने के काम आते हैं और पीछे अनावश्यक सड़ते रहते हैं। विवाह की पोशाक पीली धोती कुरता लड़के के लिए और पीली धोती ब्लाउज लड़की के लिए। दोनों ओर से फूलों का आदान-प्रदान, बहुत हुआ तो अँगूठी का आपस में परिवर्तन हो सकता है। जो मँहंगा सोना नहीं खरीद सकें, वे चाँदी की अँगूठियाँ आपस में बदल सकते हैं। वे भी बाजार में कितने ही डिजाइनों की बिकने लगी हैं।

विवाह में लगने वाली राशि को कन्या शिक्षा में लगाया जाना चाहिए। जहाँ स्कूल न हों, वहाँ अपराह्न की पाठशालायें चलाई जाय और प्रज्ञा-प्रशिक्षण ५२ पुस्तकों का पाठन क्रमशः करा दिया जाय। इसमें साहित्यिक शब्द-कोश और व्याकरण का सामान्य ज्ञान सीखे और सिखाये जाने की पूरी गुंजाइश है। जीवन में कमी काम न आने वाले निरर्थक

विषयों की अपेक्षा यह छोटी-छोटी पुस्तिकायें अधिक उपयोगी हैं, जिनमें जीवन के हर पक्ष पर आवश्यक प्रकाश डाला गया। शेष बातें सद्गृहस्थों का वातावरण ही लड़कियों को सभ्यता और शिष्टता का आवश्यक पाठ पढ़ा देता है। फिर निजी विवेक जागृत किये जाने पर वे निजी विवेक बुद्धि से भी उन गुत्थियों को सरलतापूर्वक समझा देती हैं, जो अनगढ़ों को पहाड़ के समान विषम मालूम पड़ती हैं।

आदतें चाहे व्यक्तिगत हों, चाहे सामाजिक, वे अचेतन मन में अपनी जड़ें जमा लेती हैं। तब वे स्वाभाविक ही नहीं आवश्यक भी प्रतीत होने लगती हैं। बुरी आदतों के संबंध में भी यही बात है। उन्हें छोड़ने या तोड़ने के संबंध में विवेक और साहस का संयुक्त समन्वय चाहिए अन्यथा उनसे पीछा छुड़ाना कठिन पड़ता है। नशेबाजी की तरह कुरीतियाँ भी स्वभाव के अंग बन जाती हैं और उनके कार्यान्वित किये बिना ऐसा लगता रहता है मानों कुछ खो गया, कुछ छूट गया। एक भय भी बना रहता है कि उन प्रथाओं का निर्वाह छोड़ देने पर कोई प्रेत पितर या देवी देवता नाराज होकर कुछ अनिष्ट न करने लगे। देववाद के पीछे यही भावना विशेष रूप से काम करती है। उनके द्वारा कुछ प्राप्त होने का लालच उतना काम नहीं करता जितना भय। मन में यह डर बना रहता है कि इस प्रथा का पालन न किया तो सम्बन्धित कोई देवी देवता नाराज होकर अनिष्ट न करने लगे। यह भय ही अधिकांश लोगों को उन प्रथाओं के पालन करने के लिए विवश करती है। जो बुद्धि संगत नहीं है। जिसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता, उन पशु बलि प्रथाओं के पीछे जितना लालच काम करता है, उससे कहीं अधिक भय सताता है। यह भय सामाजिक भी होता है। सोचा जाता है कि इस कृत्य को न करने से कहीं कोई अनिष्ट न हो जाय। यद्यपि वैसा कुछ होता भी नहीं तो भी अपडर तो अपडर ही है। लोभ से भय की शक्ति अधिक है। व्यक्ति लोभ आसानी से छोड़ सकता है किन्तु भय से पीछा छुड़ाना कठिन है। कुरीतियों की जड़ें अक्सर इसीलिए गहरी जमी पाई जाती हैं।

इसलिए कुरीतियों को तोड़ने के लिए साहस और विवेकशील लोगों को आगे आना पड़ता है। इसके बिना बुद्धि में औचित्य स्वीकार करने पर भी परिवर्तन के लिए जिस साहसिकता की आवश्यकता है, उसे जुटा पाते। गाड़ी यहीं आकर रुक जाती है। प्रजा परिवर्तनों ने न केवल विवेक का पाठ पढ़ा है वरन् साहस अपनाने के लिए किस प्रकार अग्रगामी हुआ जाता है यह भी उनसे सीखा है। उस शिक्षा को कार्यान्वित करने का ठीक समय यही है। जब विवेकयुक्त शौर्य जमता है तो उसमें जन मत के प्रचलनों की अपेक्षा करने की भी हिम्मत बढ़ती है और अदृश्य देवी देवताओं द्वारा अनिष्ट क्रिये जाने का डर भी चला जाता है। कुछ लोग हिम्मा करके जिस काम को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे दुर्बल मन वाले भी उस साहस से प्रेरणा पाकर स्वयं भी करने लग जाते हैं। यह प्रयोग कुरीति सम्मेलन से भी सफल हो सकता है। हिन्दू धर्म में घुमी हुई अनेक कुरीतियाँ हैं जिनसे समाज को छिन्न-भिन्न, दुर्बल मन और विवेकहीन होकर एक प्रकार से आलसी बनाकर रख दिया है। प्राचीनकाल में समाज को गिराकर वर्तमान पिछड़ी और उपहास्यास्पद स्थिति ला पटकने का दोष अधिकतर इन्हीं कुरीतियों को है, जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे विवाहों में गरीब द्वारा अमीरों का स्वांग बनाया जाता है वैसे ही विडम्बनाएँ अन्य उपक्रमों में देखी जाती हैं। विवाहों में अनावश्यक खर्च करना लोग इतना आवश्यक मानते हैं कि उनके लिए अपने घर तक बेच डालते हैं। इसी प्रकार जाति-पांति से ऊँच नीच का प्रश्न भी है। लोग अपनी उपजाति को ऊँचा मानते हैं और दूसरी जाति को नीचा। इसका परिणाम यह होगा अच्छी स्थिति का लड़का आसानी से मिल रहा हो तो उसके यहाँ बेटो ब्याहने की अपेक्षा उसे ढूँढ़ते हैं जो बराबरी का हो या ऊँचा हो। यह मान्यता भी सर्वथा निर्मूल है। मनुष्यों में कोई ऊँचा नीचा नहीं होता। केवल अपने गुण, कर्म, स्वभाव के कारण ही लोग ऊँचे नीचे बनते हैं। किसी

समूह को ऊँचा नीचा ठहराना सर्वथा व्यर्थ है। फिर भी देखा गया है कि बिवाह शादियों में न केवल लेन दहेज के ऊपर वरन् उपजातियों की सीमा में आबद्ध रहने और दूसरों को अपने से छोटा मानने की कुप्रथा के कारण बिवाह शादियों में अड़चन उत्पन्न हो जाती है।

इसी प्रकार छुट-पुट रीति-रिवाज भी विवाहों के साथ जुड़ते हैं। उनकी पूर्ति के लिए ढेरों पैसा, समय बर्बाद करना और परेशानी उठानी पड़ती है। जब सुधार की दिशा में कदम उठाना हो तो इस सारे खर-पतवार को एक साथ ही साफ कर देने की समझदारी किसी व्यवहार कुशल किसान से सीखनी चाहिए, वह खेत की निराई गुड़ाई में सभी खर-पतवार को एक साथ ही उखाड़ता चलता है। ऐसा नहीं है कि आज कंकड़ बीने कल काटे, आज मोथा उखाड़े कल बथुआ। बिवाह शादियों से जुड़ी हुई अनेक कुरीतियाँ हैं जिनमें एक यह भी है कि एक जाति दूसरी जाति का पकवान तो खा लेती है पर चावल, दाल जैसी 'कच्ची' समझी जाने वाली वस्तु को प्रीतिभोज में नहीं आने देती। यह प्रचलन भी मिटना चाहिए। 'पक्की' की परिभाषा में आने वाले जहाँ पूड़ी पकवान हों वहाँ 'कच्ची' की परिधि में धकेले जाने वाले दाल चावल खिचड़ी जैसी वस्तुएँ भी अवश्य परोसी जायँ। हमें इन कुरीतियों के विरुद्ध धर्मयुद्ध छेड़ना चाहिए और उन्हें एक-एक करके नहीं वरन् सब का सफाया एक साथ ही करना चाहिए। इन्हीं कुरीतियों में एक पदों का रिवाज भी है।



: युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य- संक्षिप्त परिचय :



ज्यादा जानकारी यहाँ से प्राप्त करें :
<http://hindi.awgp.org/about-us>

- **विचारक्रान्ति अभियान के प्रणेता** : विचारों को परिष्कृत और ऊँचा उठाने में समर्थ 3000 से भी अधिक पुस्तकों के लेखन के माध्यम से विश्वव्यापी विचार क्रान्ति अभियान की शुरुआत की।
- **वेद, पुराण, उपनिषद के प्रसिद्ध भाष्यकार** : जिन्होंने चारों वेद, 108 उपनिषद, षड दर्शन, 20 स्मृतियाँ एवं 18 पुराणों का युगानुकूल भाष्य किया, साथ ही 19 वीं प्रज्ञा पुराण की रचना भी की।
- **3000 से अधिक पुस्तकों के लेखक** : मनुष्य को देवता समान, घर-परिवार को स्वर्ग, समाज को सभ्य और समग्र विश्वराष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने में समर्थ हजारों पुस्तकें लिखकर समयानुकूल समर्थ मार्गदर्शन प्रदान किया।

- **युग-निर्माण योजना के सूत्रधार** : जिन्होंने शतसूत्री युग निर्माण योजना बनाकर नये युग की आधार शिला रखी।
- **वैज्ञानिक-अध्यात्मवाद के प्रणेता** : जिन्होंने धर्म और विज्ञान के समन्वय की प्रथम प्रयोगशाला 'ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान' स्थापित कर सिद्ध किया कि "धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, पुरक है"।
- **'२१ वीं सदी : उज्ज्वल भविष्य' के उद्घोषक** : जिन्होंने '२१ वीं सदी : उज्ज्वल भविष्य' का नारा दिया तथा युग विभीषिकाओं से भयग्रस्त मनुष्यता को नये युग के आगमन का संदेश दिया।
- **स्वतंत्रता संग्राम के कर्मठ सेनानी** : जिन्होंने महात्मा गाँधी, मदन मोहन मालवीय, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी "श्रीराम मत्त" के रूप में प्रख्यात हुए।
- **गायत्री के सिद्ध साधक** : जिन्होंने गायत्री और यज्ञ को रुढ़ियों और पाखण्ड से मुक्त कर जन-जन की उपासना का आधार तथा सद्बुद्धि एवं सतकर्म जागरण का माध्यम बनाया।
- **तपस्वी** : जिन्होंने गायत्री की कठोरतम साधना कर २४-२४ लाख के २४ महापुरश्चरण २४ वर्षों में सम्पन्न किया। प्रकृति प्रकोप को शांत कर अनिष्टों को टाला, सृजन सम्भावनाओं को साकार किया।
- **अखिल विश्व गायत्री परिवार के जनक** : जिन्होंने अपने जीवनकाल में ही अपने साथ करोड़ों लोगों को आत्मियता के सूत्र में बाँधकर विश्व व्यापी 'युग निर्माण परिवार' - 'गायत्री परिवार' का गठन किया।
- **समाज सुधारक** : जिन्होंने नारी जागरण, व्यसन मुक्ति, आदर्श विवाह, जाति-पाँति प्रथा तथा परंपरागत रुढ़ियों की समाप्ति हेतु अद्भूत प्रयास किए एवं एक आदर्श स्वरूप समाज में प्रस्तुत किया।
- **ऋषि परम्परा के उद्धारक** : जिन्होंने इस युग में महान ऋषियों की महान परंपराओं की पुनर्स्थापना की। लुप्तप्राय संस्कार परंपरा को पुनर्जीवित कर जन-जन को अवगत कराया।
- **अवतारी चेतना** : जिन्होंने "धरती पर स्वर्ग के अवतरण और मनुष्य में देवत्व के जागरण" की अवतारी घोषणा को अपना जीवन लक्ष्य बनाया और चेतना का ऐसा प्रवाह चलाया कि करोड़ों व्यक्ति उस ओर चल पड़े।

गायत्री परिवार जीवन जीने कि कला के, संस्कृति के आदर्श सिद्धांतों के आधार पर परिवार, समाज, राष्ट्र युग निर्माण करने वाले व्यक्तियों का संघ है। **वसुधैवकुटुम्बकम्** की मान्यता के आदर्श का अनुकरण करते हुये हमारी प्राचीन ऋषि परम्परा का विस्तार करने वाला समूह है गायत्री परिवार। एक संत, सुधारक, लेखक, दार्शनिक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और दूरदर्शी युगऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा स्थापित यह मिशन युग के परिवर्तन के लिए एक जन आंदोलन के रूप में उभरा है।

Free Download Complete Work Of Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya, Founder of All World Gayatri Pariwar Books, Magazines, Articles, Stories, Poems, Great Personalities and many more at

www.vicharkrantibooks.org | www.awgp.org